कार्यालय **अधीक्षक, उपकारागार, रूडकी** के माह **जलाई 2014** से **मई, 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री खजान सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **04.06.2018** से **08.06.2018** तक **श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **राम सनेही** एवं श्री **एस. के. सिंह** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक **29.05.2014** से **03.06.2014** तक श्री **पी. सी. श्रीवास्तव**, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **08/2012** से **06/2014** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **07/2014** से **05/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढवाल परिक्षेत्र, पौडी

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	159.32	158.54	87.15		-	03.11
2016-17	-	-	220.60	163.48	94.11		-	57.88
2017-18	-	-	194.70	191.98	109.81		-	06.14

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई कार्यालय **अधीक्षक, उपकारागार, रूडकी** को श्रेणी **(सी)** की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

अधीक्षक
↓
सहायक चिकित्साधिकारी
↓
कारापाल
↓
उप कारापाल
↓
फार्मसिस्ट
↓
सहायक लेखाकार
↓
कनिष्क सहायक

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड गढवाल परिक्षेत्र एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय **अधीक्षक, उपकारागार, रूडकी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह **फरवरी, 2016, सितम्बर, 2016 एवं फरवरी, 2018** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद **149** के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, **1971** (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** एवं **16** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, **2007** तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग-II 'अ'

प्रस्तर :---------- शून्य ----------

भाग दो ब

प्रस्तर:01- रू 142.00 लाख की धनराशि का भोजन सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड अ

अत: कोषागार से मजदूरी मद की धनराशि आहरित कर बैक खाते में रू 14.80 लाख अवरूद्‌ध रखे जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो ब</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> रू 33.06 लाख का अनियमित व्यय एवं रू 66118/- आयकर की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 12(।) के अनुसार रू 1.00 लाख से अधिक, संशोधित नियमावली 2015 के प्रस्तर 12(।) के अनुसार रू 3.00 लाख से अधिक एवं संशोधित नियमावली 2015 के प्रस्तर 12(।) के अनुसार रू 2.50 लाख से अधिक तक की सामग्री क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जा सके।

कार्यालय के भोजन मद एवं सामग्री और सम्पूर्ति मद क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कुल रू 3305904 की विभिन्न सामग्रियों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनायें ही किया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है।

वित्तीय वर्ष	**भोजन पर व्यय**	**सामग्री और सम्पूर्ति पर व्यय**	**कुल व्यय की गई धनराशि**
2014-15	1199893	-	1199893
2015-16	996011	160000	1156011
2016-17	800000	150000	950000
योग:	2995904	310000	3305904

इसके जांच में यह पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 धारा 194 (सी) के अन्तर्गत ठेकेदारों एवं उपठेकेदारों को रू 3305904 के भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार इकाई द्वारा रू 66118 आयकर की कटौती नहीं की गई थी। जिसे वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि निविदा आमंत्रित की गई थी किन्तु किसी निविदा दाता द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण पूर्व शासनादेश के अनुसार खाद्यान एस. एम. आई. दरों पर क्रय की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खाद्यान में केवल गेहू, चावल एवं चीनी सम्मलित थी, जिसके क्रय किये जाने का आदेश था न की समस्त भोजन सामग्री क्रय किया जाना था। इस प्रकार इकाई द्वारा बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही विभिन्न खाद्य सामग्री का क्रय किया गया। जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन किया गया था।

अत: रू 33.06 लाख का अनियमित व्यय रू 66118 आयकर की कटौती न किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -''अ''प्रस्तर संख्या	भाग दो -''ब'' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
15/2014-15	शून्य	01, 02	-
17/2012-13	01	01, 02, 03	01

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
15/2014-15	भाग दो 'ब' प्रस्तर 01, 02	अप्रस्तुत	यथावत रखने की संस्तुति	
17/2012-13	भाग दो 'अ' प्रस्तर 01 भाग दो 'ब' प्रस्तर 01, 02, 03 एवं STAN-01	अप्रस्तुत		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला कारागार, पोडी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः --- ---------- शून्य --

सतत् अनियमितताएः -- - ---------- ----- शून्य --

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1	श्री प्रत्यूष सिंह	अपर जिला मजिस्ट्रेट, रूडकी	13.02.2014 से 25.09.2016
2	श्री मयूर दीक्षित	ज्वाइंन मजिस्ट्रेट, रूडकी	26.09.2016 से 26.09.2017
3	नितिका खण्डेलवाल	ज्वाइंन मजिस्ट्रेट, रूडकी	11.10.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधीक्षक, उपकारागार, रूडकी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ''महालेखाकार भवन'' दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र